Section 8: Levy and collection of cess

(1) There shall be levied a cess on such intra-State supplies of goods or services or both, as provided for in section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, and such inter-State supplies of goods or services or both as provided for in section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and collected in such manner as may be prescribed, on the recommendations of the Council, for the purposes of providing compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax with effect from the date from which the provisions of the Central Goods and Services Tax Act is brought into force, for a period of five years or for such period as may be prescribed on the recommendations of the Council:

Provided that no such cess shall be leviable on supplies made by a taxable person who has decided to opt for composition levy under section 10 of the Central Goods and Services Tax Act.

(2) The cess shall be levied on such supplies of goods and services as are specified in column (2) of the Schedule, on the basis of value, quantity or on such basis at such rate not exceeding the rate set forth in the corresponding entry in column (4) of the Schedule, as the Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that where the cess is chargeable on any supply of goods or services or both with reference to their value, for each such supply the value shall be determined under section 15 of the Central Goods and Services Tax Act for all intra-State and inter-State supplies of goods or services or both:

Provided further that the cess on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), at the point when duties of customs are levied on the said goods under section 12 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), on a value determined under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 8 : उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण

(1) उस तारीख से, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते है, पांच वर्ष की अविध के लिए या ऐसी अविध के लिए जो परिषद् की सिफारिश पर विहित की जाए, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में यथा उपबन्धित माल या सेवा या दोनों के राज्य के भीतर ऐसी पूर्तियों पर और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबन्धित माल या सेवाओं या दोनों के ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति में जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई उपकर, ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने का विनिश्चय किया है की गई पूर्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) उपकर, माल और सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य, मात्रा के आधार पर अथवा ऐसे आधार पर ऐसी दर से जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित ऐसी दर से अधिक नहीं हो, जो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उद्गृहीत किया जाएगा:

परन्तु जहां उपकर, ऐसे प्रत्येक प्रदाय के लिए माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर उनके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है, वहां ऐसी प्रत्येक पूर्ति पर मूल्य, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर की समस्त पूर्तियों और अन्तरराज्यिक पूर्तियों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि भारत में आयातित माल पर उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उस बिन्दु पर, जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अवधारित मूल्य पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।